राजस्थान सरकार
Azadi ka Amrit Mahotsav
कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)
150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA
Telefax No. 0154-2466652, Email :- uit_sgnr@yahoo.com
Office Address :- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001

क्रमांक :- नियोजन/2024/ 3002 दिनांक :- 28/2/2024

एम्पावर्ड समिति की बैठक कार्यवाही विवरण

प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 शिविर के दौरान प्रदत निर्देशों के अनुसार कृषि भूमि निजी खातेदारों द्वारा अवैध/अनियमित रूप से विक्रीत एवं विकसित कॉलोनियों के नियमानुसार न्यास द्वारा/भूखण्डधारियों द्वारा ले आउट प्लान को तैयार करवाये गये है। प्रस्तावित ले आउट प्लान पर विचार बावत एम्पावर्ड कमेटी का आयोजन किया गया है। विभागीय आदेश क्रमांक प. 8(ग)( )नियम/डी-43/2021/68664 जयपुर दिनांक 27.09.2021 द्वारा जारी दिशा निर्देशो के बिन्दु सं. 02 के कम में न्यास स्तर पर गठित एम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 27.02.2024 को न्यास कार्यालय में न्यास अध्यक्ष (न्यास अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सचिव न्यास) श्री कैलाश चन्द्र, सचिव नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन कार्यालय समय में आहूत की गई। जिसमें निम्नलिखित अधिकारीगण उपस्थित हुए :-

1	श्री कैलाश चन्द्र, सचिव नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर	सदस्य
2	श्री बृजलाल शर्मा, भूमि आवाप्ति अधिकारी/तहसीलदार, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर	सदस्य
3	श्री सरेन्द्र पूनियां, अधिशाषी अभियन्ता, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर	सदस्य
4	श्री दीपक जांगिड़, सहायक नगर नियोजक, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर	सदस्य

एजेण्डा संख्या :- 01

क्र. स.	प्रकरण	प्रकरण के संबंध में विवरण
1	आवेदक का नाम	श्रीमती चोखा देवी पत्नी श्री ताराचन्द निवासी ख्यालीवाला, 11 एलएनपी, उद्योग विहार, श्रीगंगानगर
2	भूमि का विवरण	चक 11 एलएनपी मुरब्बा नं. 38 के किला नं. 1/4 में 0.0633 हैक्टे. यथाकुल 0.0633 हैक्टेयर
3	स्वामित्व के संबंध में रिपोर्ट	तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर निर्धारित प्रारूप प्रपत्र-6 में प्राप्त रिपोर्ट अनुसार स्वामित्व वैद्य है।
4	भूमि का भू-उपयोग 1) मास्टर प्लान वर्ष 2003-2023	वर्तमान में प्रभावी नहीं है।
	2) मास्टर प्लान वर्ष 2017-2035	आवेदित भूमि का मास्टर प्लान वर्ष 2017-2035 में प्रस्तावित भू-उपयोग थोक व्यापार भण्डार गोदाम हेतु आरक्षित है। विभागीय आदेश क्रमांक प.17(1)नविवि/अभियान/2021 पार्ट-1 दिनांक 04.08.2023 के बिन्दु सं. 1.1 अनुसार "संभागीय मुख्यालय शहरों में न्यूनतम 24 मीटर व अन्य शहरों में न्यूनतम 18 मीटर व इससे अधिक चौड़ाई की सड़कों के दोनो ओर नगरीयकरण योग्य क्षेत्र में रिक्रिऐशनल (यथा पार्क, खुला स्थल व खेल के मैदान, स्टेडियम)

सहायक नगर नियोजक नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर	अधिशाषी अभियन्ता नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर	भूमि अवाप्ति अधिकारी नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर	सचिव नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

Telefax No. 0154-2466652, Email :- uit_sgnr@yahoo.com
Office Address :- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001

एजेण्डा संख्या :- 19

क्र. स.	प्रकरण	प्रकरण के संबंध में विवरण
1	आवेदक का नाम	रिद्धि सिद्धि होम डवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड जरिये डायरेक्टर श्री मुकेश शाह पुत्र श्री शिव प्रसाद शाह निवासी आरएस-08 रिद्धि सिद्धि एन्कलेव प्रथम, श्रीगंगानगर।
2	भूमि का विवरण	चक 4 ए छोटी मुरब्बा नं. 31 के किला नं. 2/4 में 0.1245 है., किला 3 व 8 प्रत्येक में 0.253 है., किला नं. 4/1 व 7/2 प्रत्येक में 0.0920 है., किला नं. 9/3 में 0.1255 है., किला नं. 12/3 में 0.0230 है., किला नं. 13/2 में 0.1714 है., किला नं. 14/1 व 17/2 प्रत्येक में 0.0920 है., किला नं. 18/1 में 0.1533 है., किला नं. 23/4 में 0.1068 है., किला नं. 24/3 में 0.0641 है. यथाकुल 1.6426 हैक्टेयर
3	स्वामित्व के संबंध में रिपोर्ट	तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर से प्रपत्र-6 में प्राप्त रिपोर्ट अनुसार स्वामित्व वैद्य है।
4	भूमि का भू-उपयोग 1) मास्टर प्लान वर्ष 2003-2023	वर्तमान में प्रभावी नहीं है।
	2) मास्टर प्लान वर्ष 2017-2035	मास्टर प्लान वर्ष 2017-2035 में प्रस्तावित भू-उपयोग किला नं. 2, 3, 8, 9 में आवासीय प्रयोजनार्थ एवं किला नं. 12, 13, 18, 23 में वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ आरक्षित है।
5	पहुँच मार्ग की स्थिति 1) मास्टर प्लान अनुसार	नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 10.08.2020 के अनुसार 2 हैक्टेयर तक की आवासीय भू उपयोग के साइट प्लान/ले आउट प्लान में न्यूनतम 40 फीट पहुंच मार्ग की बाध्यता है। राज्य सरकार द्वारा विभागीय आदेश दिनांक 22 नवंबर 2016 द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रकरण विशेष में जहां किसी भी स्थिति में (पहुंच मार्ग अनुमोदित योजनाओं में से प्राप्त होने पर) 40 फीट पहुंच मार्ग की उपलब्धता संभव नहीं होने पर ऐसे प्रकरणों में संबंधित नगरी निकाय अपने स्तर पर अनुमति दे सकेगा, परंतु ऐसे पहुंच मार्ग की चौड़ाई 30 फीट से कम नहीं होगी का निर्णय पारित है। आवेदित भूमि को पूर्व दिशा से भू राजस्व अधिनियम की धारा 90 क के अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदन संख्या 100922 की भूमि प्रस्तावित ले आउट प्लान में प्रस्तावित 30 फीट चौड़ी से सड़क पहुंच मार्ग प्राप्त हो रहा है। आवेदित भूमि के दक्षिण दिशा में मास्टर प्लान की प्रस्तावित 100 फीट चौड़ी सड़क हेतु मुरब्बा न 31 के किला न 21 ता 25 की दक्षिण किला लाइन से उत्तर की

सहायक नगर नियोजक नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर	अधिशाषी अभियन्ता नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर	भूमि अवाप्ति अधिकारी नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर	सचिव नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

Telefax No. 0154-2466652, Email :- uit_sgnr@yahoo.com
Office Address :- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001

		और 50 गुणा 824 फीट भूमी मास्टर प्लान/सेक्टर प्लान के सड़क मार्गाधिकार में भूमि निःशुल्क समर्पित है।
	2) मौके पर विद्यमान पहुँच मार्ग	नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 10.08.2020 के अनुसार 2 हैक्टेयर तक की आवासीय भू उपयोग के साइट प्लान/ले आउट प्लान में न्यूनतम 40 फीट पहुंच मार्ग की बाध्यता है। राज्य सरकार द्वारा विभागीय आदेश दिनांक 22 नवंबर 2016 द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रकरण विशेष में जहां किसी भी स्थिति में (पहुंच मार्ग अनुमोदित योजनाओं में से प्राप्त होने पर) 40 फीट पहुंच मार्ग की उपलव्धता संभव नहीं होने पर ऐसे प्रकरणों में संबंधित नगरी निकाय अपने स्तर पर अनुमति दे सकेगा, परंतु ऐसे पहुंच मार्ग की चौड़ाई 30 फीट से कम नहीं होगी का निर्णय पारित है। आवेदित भूमि को पूर्व दिशा से भू राजस्व अधिनियम की धारा 90 क के अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदन संख्या 100922 की भूमि प्रस्ताचित ले आउट प्लान में प्रस्तावित 30 फीट चौड़ी से सड़क पहुंच मार्ग प्राप्त हो रहा है। आवेदित भूमि के दक्षिण दिशा में मास्टर प्लान की प्रस्तावित 100 फीट चौड़ी सड़क हेतु मुरब्बा न 31 के किला न 21 ता 25 की दक्षिण किला लाइन से उतर की ओर 50 गुणा 824 फीट भूमी मास्टर प्लान/सेक्टर प्लान के सड़क मार्गाधिकार में भूमि निःशुल्क समर्पित है।
6	राजस्थान भू-राजस्व अधि.1956 की धारा 90-क	आवेदन संख्या LU2012/SGN/2023-24/100923 दिनांक 20.11.2023 द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ आवेदित है।
7	प्रयोजन	आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान।
8	स्वीकृति का विवरण	विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.8(ग)( )नियम/ डी-43/2021/68664 जयपुर दिनांक 27.09.2021 द्वारा जारी दिशा निर्देशो की पालना न्यास आदेश सं. टीपी/2021/1635 दिनांक 30.09.2021 के क्रम में न्यास स्तर पर गठित एम्पावर्ड समिति द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान के अन्तर्गत प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए न्यास स्तर पर स्वीकृत किया जाना है।
9	प्रकरण के मुख्य तथ्य	• आवेदित भूमि मास्टर प्लान 2017-2035 अनुसार किसी भी सुविधा क्षेत्र में नहीं आता है। • वर्तमान में श्रीगंगानगर मास्टर प्लान 2017-2035 अधिसूचित हो गया है अतः पूर्व मास्टर प्लान 2003-2023 अनुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है। • आवेदित भूमि को उत्तर दिशा से मास्टर/सैक्टर प्लान की प्रस्तावित 40 फीट चौड़ी सड़क से पहुँच मार्ग प्रस्तावित है। उक्त 40 फीट चौड़ी सड़क मार्गाधिकार को

सहायक नगर नियोजक नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर	अधिशाषी अभियन्ता नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर	भूमि अवाप्ति अधिकारी नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर	सचिव नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान सरकार

कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

Telefax No. 0154-2466652, Email :- uit_sgnr@yahoo.com
Office Address :- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001

यथावत कायम किये जाने हेतु मुरब्बा लाईन से दक्षिण की ओर आवेदक/विकासकर्ता से अपने स्वामित्व की 20'-0" गुणा 306'-6" फीट भूमि सड़क मार्गाधिकार हेतु निःशुल्क समर्पित करवायी जानी प्रस्तावित है।

- आवेदित भूमि को उत्तर दिशा से मास्टर/सैक्टर प्लान की प्रस्तावित 40 फीट चौड़ी सड़क एवं पूर्व दिशा से मास्टर/सैक्टर प्लान की प्रस्तावित 30 फीट चौड़ी सड़क से पहुँच मार्ग प्रस्तावित है। आवेदित भूमि को पूर्व दिशा में उपरोक्त एम्पावर्ड समिति के एजेण्डा संख्या 18 (ऑनलाईन 90-ए आवेदन संख्या 100922) में उल्लेखित भूमि के ले आउट प्लान में दर्शित से 30 फीट चौड़ी सड़क मार्गाधिकार प्राप्त है।
- आवेदित भूमि के दक्षिण दिशा में मास्टर प्लान की प्रस्तावित 100 फीट चौड़ा पहुँच मार्ग प्रस्तावित है।
- प्रश्नगत आवेदित भूमि के पूर्व दिशा में भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90-क के अन्तर्गत ऑनलाईन आवेदन संख्या 100922 द्वारा आवेदित भूमि को आपस में आवागमन/पहुँच मार्ग हेतु संबंधित खातेदार/विकासकर्ता द्वारा सयुंक्त रूप से सहमति पत्र/शपथ पत्र लिया जाना प्रस्तावित है।
- प्रश्नगत आवेदित भूमि को भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90-क के अन्तर्गत ऑनलाईन आवेदन संख्या 100912, 100914, 100923, 100941 द्वारा आवेदित भूमि को आपस में आवागमन/पहुँच मार्ग हेतु संबंधित खातेदार/विकासकर्ता द्वारा सयुंक्त रूप से सहमति पत्र/शपथ पत्र लिया जाना प्रस्तावित है।
- प्रकरण में आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टा विलेख जारी किये जाने से पूर्व भूमि के स्वामित्व, क्षेत्रफल, सीमाओं एवं प्रस्तावों के अनुसार मौके पर भूमि की उपलब्धता की सुनिश्चितता की जानी होगी।
- प्रकरण में एकीकृत भवन विनियम-2020 के विभिन्न प्रावधानों व इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना/आदेश/परिपत्र/दिशा निर्देशों के समस्त प्रावधानों के अनुरूप आवासीय प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र अनुमोदन इस कार्यालय की तकनीकी अभिशंषा अनुसार किया जाना होगा। आवासीय प्रयोजनार्थ अन्य भवन निर्माण के पैरामीटर्स उपरोक्त के संबंध में प्रचलित नियमों व समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों/आदेशों/परिपत्रों के प्रावधानानुसार होगें।
- उक्त स्वीकृति/तकनीकी अभिशंषा के अतिरिक्त यदि अन्य

सहायक नगर नियोजक नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर	अधिशाषी अभियन्ता नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर	भूमि अवाप्ति अधिकारी नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर	सचिव नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान सरकार Azadi Ka Amrit Mahotsav
कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)
Telefax No. 0154-2466652, Email :- uit_sgnr@yahoo.com
Office Address :- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001

		किसी विभाग के अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता हो तो उक्त प्रमाण पत्र पट्टा विलेख जारी किये जाने से पूर्व संबंधित विभाग से प्राप्त कर न्यास को उपलब्ध करवाना होगा।		
10	योजना के प्रस्तावित ले आउट प्लान में भूमि का वर्गीकरण	प्रयोजन	वर्गफीट	प्रतिशत
		आवासीय	116415.00	65.86%
		इन्फोरमल	3600.00	2.03%
		सड़क	56754.00	32.11%
		कुल	176769.00	100.00%
11	अन्य तथ्य	1. प्रकरण का परीक्षण राजस्थान टाऊनशिप पॉलिसी 2010 तथा विभागीय अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के अन्तर्गत किया गया है। अतः इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना/आदेश/परिपत्र/दिशा निर्देशों के समस्त प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी। 2. योजना में दर्शाये गये भूखण्डों पर सैट बैक्स विभागीय अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के अनुसार छोड़े जाने होगें एवं अन्य सभी मापदण्ड भवन विनियम-2020 के अनुसार रखे जाने होगें। 3. अनुमोदित योजना मानचित्र में आरक्षित सुविधा क्षेत्र का निस्तारण टाऊनशिप पॉलिसी-2010 एवं उक्त के परिपेक्ष्य में विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाओं/ परिपत्रों अनुसार किया जाना होगा। 4. सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, सौरऊर्जा संयंत्र, एल.ई.डी. व अन्य सभी प्रावधान भवन विनियम-2020 के अनुसार कायम किये जाने होगें। 5. आवेदित भूमि में से गुजर रही 33 के.वी. कोई विद्युत लाईन से नियमानुसार सुरक्षात्मक दूरी उपरान्त अथवा स्थानान्तरण उपरान्त ही भूखण्डों का सृजन मान्य होगा एवं नियमानुसार राज्य सरकार के आदेशों तथा मॉडल भवन विनियम-2020 के निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप सुरक्षात्मक उपाय आवेदक/खातेदार द्वारा स्वयं के स्तर पर अपनायें जावेंगें जिसकी समस्त जिम्मेवारी आवेदक/खातेदार स्वयं की होगी।		

अतः उपरोक्त तथ्यों सहित प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :- उपरोक्त तथ्यों सहित आवेदित भूमि चक 4 ए छोटी मुरब्बा नं. 31 के किला नं. 2/4 में 0.1245 है., किला 3 व 8 प्रत्येक में 0.253 है., किला नं. 4/1 व 7/2 प्रत्येक में 0.0920 है., किला नं. 9/3 में 0.1255 है., किला नं. 12/3 में 0.0230 है., किला नं. 13/2 में 0.1714 है., किला नं. 14/1 व 17/2 प्रत्येक में 0.0920 है., किला नं. 18/1 में 0.1533 है., किला नं. 23/4 में 0.1068 है., किला नं. 24/3 में 0.0641 है. यथाकुल 1.6426 हैक्टेयर भूमि का

सहायक नगर नियोजक नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर	अधिशाषी अभियन्ता नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर	भूमि अवाप्ति अधिकारी नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर	सचिव नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान सरकार Azadi Ka Amrit Mahotsav
कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.) 150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA
Telefax No. 0154-2466652, Email :- uit_sgnr@yahoo.com
Office Address :- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001

आवासीय प्रयोजनार्थ ले आउट प्लान अनुमोदन उपरोक्त तथ्यों सहित निम्नलिखित शर्तो/बिन्दुओं के अधीन किया जाता है :-

1. न्यास स्तर पर गठित एम्पावर्ड समिति में उपरोक्त वर्णित शर्तो/तथ्यों की पूर्ति/पालना हेतु विकासकर्ता से अण्डरटेंकिग/शपथ पत्र लिया जावे।
2. स्वीकृत ले आउट प्लान अनुसार भूखण्डों का क्षेत्रफल के वर्गीकरण के आधार पर सैट बैक्स, ऊचाई एवं आच्छादित क्षेत्रफल भवन विनियम 2020 की तालिका अनुसार देय होगा।
   नोट :- योजना के कॉर्नर के भूखण्डों पर नियमानुसार गोलाई (रेडियस) छोड़कर ही निर्माण किया जावेगा।
3. योजना में स्वीकृत इन्फोरमल सैक्टर के भूखण्ड का निष्पादन टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानों के संबंध में स्पष्टीकरण आदेश दिनांक 13.05.2020 / विभागीय परिपत्र दिनांक 10.08.2020 के अनुसार / दिनांक 20.02.2023 एवं समय-समय पर जारी परिपत्र/आदेश अनुसार किया जाना होगा।
4. आवेदित योजना में प्रस्तावित भूखण्डों पर निर्माण किये जाने से पूर्व सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।
5. स्वीकृत योजना में भूखण्डों की संख्या का अंकन व्यवस्थित रूप से किये जाने एवं योजना के नामकरण हेतु अनुमोदित ले आउट प्लान की प्रति मय एम्पावर्ड समिति के बैठक कार्यवाही विवरण की प्रति नियोजन शाखा द्वारा विकासकर्ता/खातेदार को शर्तो/नियमों की पालना हेतु उपलब्ध करवाई जावें।
6. योजना की समस्त सड़कें, पार्क व खुला क्षेत्र न्यास में निहित होगा।
7. योजना में ठोस कचरा निस्तारण हेतु भूमि का प्रावधान अनुसार समायोजन किया जावेगा।
8. योजना की आन्तरिक सड़कों के विकास में ऊर्जा सरंक्षण हेतु सोलर एवं एलईडी लाईट का उपयोग किया जावेगा।
9. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधान व नोटिफिकेशन दिनांक 03.04.2017 में वर्णानुसार 2 हैक्टेयर तक की प्लोटेड डवलमेन्ट योजनाओं में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत के बराबर भूमि की राशि ईडब्ल्यूएस/एलआईजी हेतु विकासकर्ता से आवासीय आरक्षित दर से गणना कर राशि लिये जाने का प्रावधान है। उपरोक्त योजना में आवासीय क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत क्षेत्रफल की आरक्षित दर से राशि 90 दिवस में जमा करवाई जानी होगी। उक्त अवधि के पश्चात जमा करवाये जाने वाली राशि पर 15 प्रतिशत की दर से ब्याज वसूल किया जावेगा। (विभागीय आदेश क्रमांक प.18(36) नविवि/ एल.ए.एच.पी./ 2014 पार्ट दिनांक 04.05.2017)
10. योजना/स्वीकृत ले आउट प्लान अनुसार समस्त आन्तरिक विकास कार्य यथा सड़कें, नालियां, विद्युत व्यवस्था, स्ट्रीट लाईट, पार्क/होर्टिकल्चर, सीवरेज एवं पेयजल आदि टाऊनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानानुसार निर्धारित अवधि 24 माह में किये जाने अनिवार्य होगें। निर्धारित अवधि में उपरोक्त विकास कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में 10 प्रतिशत शास्ति के (Total Prevailing Conversion Charges) साथ अधिकतम अवधि 2 वर्ष तक नियमानुसार

सहायक नगर नियोजक नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर	अधिशाषी अभियन्ता नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर	भूमि अवाप्ति अधिकारी नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर	सचिव नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान सरकार
कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)
Telefax No. 0154-2466652, Email :- uit_sgnr@yahoo.com
Office Address :- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001

न्यास स्तर से बढाई जा सकेगी अर्थात् टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार निर्धारित समयावधि में योजना का क्रियान्वन व निष्पादन किया जावेगा।

11. उपरोक्त योजना का राजस्थान रियल एस्टेट (रेग्यूलेशन एण्ड डवलपमेन्ट) रूल्स् 2017 के तहत पंजीयन करवाया जाना अनिवार्य होगा।
12. विभागीय अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के प्रावधान 7.02 अनुसार योजना में टेलिकोम इन्फ्रास्ट्रक्चर टावरस् हेतु स्थल आरक्षित रखते हुए निष्पादन विभागीय अधिसूचना/ आदेशानुसार किया जाना होगा।
13. टाउनशिप पॉलिसी-2010 एवं इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना/ आदेश/परिपत्र/दिशा-निर्देशों के समस्त प्रावधानों की पालना करनी होगी तथा नियमानुसार आवश्यक सभी शुल्क न्यास कोष में जमा करवाने होगे।
14. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, राजस्थान जयपुर का परिपत्र दिनांक 31.12.2020 की पालना में योजना का वैद्य संचालन हेतु प्रदूषण मण्डल की सम्मति, न्यास से अधिवास प्रमाण पत्र जारी किये जाने से पूर्व प्राप्त कर प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी होगी तथा राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, राजस्थान जयपुर द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों/परिपत्रों/आदेशों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।
15. राजस्व रिकार्ड एवं मौके पर उपलब्ध क्षेत्रफल के आधार पर भूखण्डों का नियमन किया जाना है।
16. विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/निर्देशों की पालना एवं वांछित एनओसी की सुनिश्चितता आवेदक के स्वंय के स्तर पर की जानी होगी, इस आशय का आवेदक/विकासकर्ता से शपथ पत्र प्राप्त किया जावे।
17. नगरीय विकास विभाग जयपुर के आदेश क्रमांक प.3(77)नविवि/3/2010पार्ट-VIII जयपुर के दिनांक 30.11.2021 अनुसार उक्त ले-आउट प्लान स्वीकृत किया जाता है।
18. योजना क्षेत्र में विभागीय आदेश क्रमांक प.3(77)नविवि/3/2009 पार्ट-IV जयपुर दिनांक 27.12.2022 द्वारा टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अन्तर्गत City Gas Distribution Station Pressure regulating station/District regulating station स्थापित करने हेतु नवीन प्रावधान लागू होंगें।
19. राजस्थान रीयल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक एफ. 4(1)आरजे/रेरा/2017/पार्ट/467 दिनांक 14.03.2023 विकासकर्ता/खातेदार द्वारा सुनिश्चितता की जानी होगी।

नोट :- यह स्वीकृति 90-ए आदेश जारी होने के उपरान्त ही मान्य होगी।

सहायक नगर नियोजक नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर	अधिशाषी अभियन्ता नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर	भूमि अवाप्ति अधिकारी नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर	सचिव नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान सरकार
कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)
Telefax No. 0154-2466652, Email :- uit_sgnr@yahoo.com
Office Address :- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001

क्रमांक :- नियोजन/2024/263-265 दिनांक :- 14/5/24

प्रमाण-पत्र

खातेदार/विकासकर्ता रिद्धि सिद्धि होम डवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड जरिये डायरेक्टर श्री मुकेश शाह पुत्र श्री शिव प्रसाद शाह निवासी आरएस-08 रिद्धि सिद्धि एन्कलेव प्रथम, श्रीगंगानगर (राज.) द्वारा आवेदित भूमि वाके चक 4 ए छोटी मुरब्बा नं. 31 के किला नं. 2/4 में 0.1245 है., किला 3 व 8 प्रत्येक में 0.253 है., किला नं. 4/1 व 7/2 प्रत्येक में 0.0920 है., किला नं. 9/3 में 0.1255 है., किला नं. 12/3 में 0.0230 है., किला नं. 13/2 में 0. 1714 है., किला नं. 14/1 व 17/2 प्रत्येक में 0.0920 है., किला नं. 18/1 में 0.1533 है., किला नं. 23/4 में 0.1068 है., किला नं. 24/3 में 0.0641 है. यथाकुल 1.6426 हैक्टेयर भूमि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क की कार्यवाही न्यास आदेश संख्या LU2012/SGN/2023-24/100923 दिनांक 20.11.2023 द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ आवेदित भूमि के दिनांक 22.04.2024 द्वारा 90-ए आदेश है। उक्त भूमि का ले आउट प्लान विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.8(ग)( )नियम/डी-43/2021/68664 जयपुर दिनांक 27.09.2021 द्वारा जारी दिशा निर्देशो की पालना न्यास आदेश सं. टीपी/2021/1635 दिनांक 30.09.2021 के क्रम में न्यास स्तर पर गठित एम्पावर्ड समिति की बैठक दिनांक 27.02.2024 के एजेण्डा संख्या 19 द्वारा स्वीकृत है। खातेदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार उक्त आवासीय योजना का नाम **"Ridhi-Sidhi Enclave-9 (P & Q Block)"** रखा गया है।

नगरीय विकास विभाग राजस्थान जयपुर की अधिसूचना एवं परिपत्रानुसार विकासकर्ता की आवेदित भूमि (जारी **माँग पत्र क्रमांक नियोजन/2024/159 दिनांक 29.04.2024 में अंकित राशि**) के बाह्य विकास शुल्क की राशि 16,42,600/- रूपये में से 20 प्रतिशत की छूट की राशि 3,28,520/- रूपये कम करते हुए शेष राशि 13,14,080/- रूपये, मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्रावधानानुसार डीएलसी दर से राशि 12,60,508/- रूपये एवं बीएसयूपी फण्ड राशि 2,78,750/- रूपये यथाकुल राशि 28,53,338/- रूपये जरिये रसीद संख्या 63/1710 दिनांक 01.05.2024 द्वारा न्यास कोष में जमा है।

खातेदारान द्वारा आन्तरिक विकास के समस्त कार्य नियत समयावधि में कार्य पूरा न होने की दशा में रहन शुद्धा भूखण्ड, (भूखण्ड संख्या **Resi. P-1 to P-10 Each Size 25'-0" X 60'-0" Feet, Resi. P-11 Size 30'-0" X 60'-0" Feet, Resi. P-12 Size 32'-6" X 60'-0" Feet, Informal-A & Informal-B Each Size 30'-0" X 60'-0" Feet, Total 12 Resi. Plot & 02 Informal)** न्यास द्वारा विक्रय करके आन्तरिक विकास कार्य करवाने बाबत कॉलोनाईजर्स/खातेदार ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। अतः उक्त तथ्यों व कॉलोनाईजर्स/खातेदार रिद्धि सिद्धि होम डवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड जरिये डायरेक्टर श्री मुकेश शाह पुत्र श्री शिव प्रसाद शाह निवासी आरएस-08 रिद्धि सिद्धि एन्कलेव प्रथम, श्रीगंगानगर (राज.) द्वारा प्रस्तुत अण्डरटेंकिंग और मौका निरीक्षण समिति की अनुशंषा के आधार पर निम्न शर्तो के साथ प्रमाण-पत्र जारी किया जाता हैं :-

1. स्वीकृत ले आउट प्लान के अनुसार समस्त आन्तरिक विकास कार्य बिजली, पानी, सड़कें, स्ट्रीट लाईट, नाली, पार्क (लाईट, झुले, बैंच, घास, पेड़-पौधे आदि), होर्टिकल्चर आदि का निर्माण स्वयं कॉलोनाईर्स/ खातेदार को स्वयं के खर्चे पर नियत समयावधि में पूर्ण करवाने होगें। न्यास उपरोक्त किसी भी प्रकार के विकास कार्य एवं उक्त हेतु व्यय करने हेतु उत्तरदायी नहीं होगा।
2. ऑवर हैड वाटर टैंक, वर्षा जल नालिया एवं सीवरेज का कार्य स्वयं खातेदार/कॉलोनाईजर्स के स्तर पर करवाया जावेगा तथा इन कार्यो के विरूद्ध न्यास से किसी प्रकार की कोई मांग इत्यादि नहीं की जावेगी। स्वीकृत ले आउट प्लान अनुसार आन्तरिक विकास कार्य एवं उपरोक्त वर्णित कार्य पूर्ण होने के उपरान्त ही उक्त रहन रखे गये भूखण्डों को रहन मुक्त किया जावेगा।
3. योजना में नियत समयावधि में आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण नहीं होने की दशा में न्यास द्वारा रहनशुद्धा भूखण्डों को विक्रय किया जाकर आन्तरिक विकास कार्य करवाये जा सकेंगें। इस बाबत खातेदार/ कॉलोनाईजर माननीय न्यायालय एवं अन्य विभागों में कोई वाद विवाद या क्लेम हेतु कोई दावा/उजर प्रस्तुत नहीं करेगें।
4. स्वीकृत ले आउट प्लान अनुसार भूखण्डों का क्षेत्रफल के वर्गीकरण के आधार पर सैट बैक्स, ऊचाई एवं आच्छादित क्षेत्रफल भवन विनियम 2020 की तालिका अनुसार देय होगा। नोट :- योजना के कॉर्नर के भूखण्डों पर नियमानुसार गोलाई (रेडियस) छोड़कर ही निर्माण किया जावेगा।
5. मास्टर प्लान वर्ष 2017-2035 में प्रस्तावित भू-उपयोग किला नं. 2, 3, 8, 9 में आवासीय प्रयोजनार्थ एवं किला नं. 12, 13, 18, 23 में वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ आरक्षित है।
6. राज्य सरकार द्वारा विभागीय आदेश दिनांक 22 नवंबर 2016 द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रकरण विशेष में जहां किसी भी स्थिति में (पहुंच मार्ग अनुमोदित योजनाओं में से प्राप्त होने पर) 40 फीट पहुंच मार्ग की उपलब्धता संभव नहीं होने पर ऐसे प्रकरणों में संबंधित नगरी निकाय अपने स्तर पर अनुमति दे सकेगा, परंतु ऐसे पहुंच मार्ग की चौड़ाई 30 फीट से कम नहीं होगी का निर्णय पारित है। आवेदित भूमि को पूर्व दिशा से भू राजस्व अधिनियम की धारा 90 क के अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदन संख्या 100922 की भूमि प्रस्तावित ले आउट प्लान में प्रस्तावित 30 फीट चौड़ी से सड़क पहुंच मार्ग प्राप्त हो रहा है।
7. आवेदित भूमि के दक्षिण दिशा में मास्टर प्लान की प्रस्तावित 100 फीट चौड़ी सड़क हेतु मुरब्बा नं. 31 के किला न 21 ता 25 की दक्षिण किला लाइन से उतर की ओर 50 गुणा 824 फीट भूमी मास्टर प्लान/सेक्टर प्लान के सड़क मार्गाधिकार में भूमि निःशुल्क समर्पित है। अतः आवेदित भूमि के दक्षिण दिशा में मास्टर प्लान की प्रस्तावित 100 फीट चौड़ा पहुॅच मार्ग प्रस्तावित है।
8. आवेदित भूमि को उत्तर दिशा से मास्टर/सैक्टर प्लान की प्रस्तावित 40 फीट चौड़ी सड़क से पहुॅच मार्ग प्रस्तावित है। उक्त 40 फीट चौड़ी सड़क मार्गाधिकार को यथावत कायम किये जाने हेतु मुरब्बा लाईन से दक्षिण की ओर अपने स्वामित्व की 20'-0" गुणा 306'-6" फीट निःशुल्क समर्पित करवायी जा चुकी है। आवेदित भूमि को प्रस्तावित पहुॅच मार्ग हेतु सड़क मार्गाधिकार में आने वाली भूमि का विकास/निर्माण विकासकर्ता/आवेदक द्वारा स्वयं के स्तर पर किया जावेगा। इस बाबत न्यास से किसी प्रकार के कोई मुआवजे आदि की माँग नहीं करेंगें इस हेतु आप बाध्य रहेंगें।
9. आवेदित भूमि को उत्तर दिशा से मास्टर/सैक्टर प्लान की प्रस्तावित 40 फीट चौड़ी सड़क एवं पूर्व दिशा से मास्टर/सैक्टर प्लान की प्रस्तावित 30 फीट चौड़ी सड़क से पहुॅच मार्ग प्रस्तावित है। आवेदित भूमि को पूर्व दिशा में न्यास स्तर पर गठित एम्पावर्ड समिति की बैठक दिनांक 27.02.2024 के एजेण्डा संख्या 18 (ऑनलाईन 90-ए

Scanned with OKEN Scanner

आवेदन संख्या 100922) में उल्लेखित भूमि के ले आउट प्लान में दर्शित रो 30 फीट चौड़ी सड़क मार्गाधिकार प्राप्त है।

10. आवेदित भूमि का भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90-क के अन्तर्गत ऑनलाईन आवेदन संख्या 100912, 100914, 100923, 100941 द्वारा आवेदित भूमि को आपस में आवागमन/पहुँच मार्ग हेतु संबंधित खातेदार/विकासकर्ता एवं हमारी/मेरी सयुंक्त रूप से जरिये सहमति पत्र/शपथ पत्र प्रस्तुत है।
11. योजना में स्वीकृत इन्फोर्मल सैक्टर के भूखण्ड माप **Informal-A & Informal-B Each Size 30'-0" X 60'-0" Feet (Total 02 Informal)** का निष्पादन टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानों के संबंध में स्पष्टीकरण आदेश दिनांक 13.05.2020/विभागीय परिपत्र दिनांक 10.08.2020 के अनुसार/दिनांक 20.02.2023 एवं समय-समय पर जारी परिपत्र/आदेश अनुसार किया जाना होगा।
12. आवेदित योजना में प्रस्तावित भूखण्डों पर निर्माण किये जाने रो पूर्व सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।
13. अनुमोदित योजना मानचित्र में सड़क हेतु आरक्षित भूमि नियमानुसार न्यास को समर्पित करते है। आवेदित भूमि में स्वीकृत सड़क हेतु आरक्षित भूखण्ड का उपयोग जन सुविधाओं (पब्लिक यूटिलिटि) हेतु किया जाएगा एवं उक्त भूखण्ड का निष्पादन राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार न्यास स्तर पर जारी निर्देशानुसार ही किया जावेगा।
14. राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी-2010 अनुसार नियत अवधि में उपर्युक्तानुसार समस्त विकास कार्य पूर्ण होने तक कमेटी की अनुशंषा एवं कॉलोनाईजर्स/ खातेदार द्वारा प्रस्तुत अण्डर टेंकिग के अनुसार (भूखण्ड संख्या **Resi. P-1 to P-10 Each Size 25'-0" X 60'-0" Feet, Resi. P-11 Size 30'-0" X 60'-0" Feet, Resi. P-12 Size 32'-6" X 60'-0" Feet, Informal-A & Informal-B Each Size 30'-0" X 60'-0" Feet, Total 12 Resi. Plot & 02 Informal)** नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर के पास बन्धक रहन रहेगे। कॉलोनाईजर्स/खातेदार द्वारा किये गये विकास कार्यो के प्रमाणीकरण अनुसार रहनशुद्धा भूखण्ड को रहन मुक्त किया जायेगा।
15. योजना की समस्त सड़कें न्यास में निहित होगा एवं योजना में ठोस कचरा निस्तारण हेतु भूमि का प्रावधान अनुसार समायोजन किया जावेगा एवं योजना की आन्तरिक सड़कों के विकास में ऊर्जा सरंक्षण हेतु सोलर एवं एलईडी लाईट का उपयोग किया जावेगा।
16. योजना के आन्तरिक विकास कार्य, यथा सड़के, नालिया, विद्युत व्यवस्था, स्ट्रीट लाईट, सीवरेज एवं पेयजल आदि के समस्त कार्य टाऊनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानानुसार निर्धारित अवधि 24 माह में किये जाने अनिवार्य होगें। निर्धारित अवधि में उपरोक्त विकास कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में 10 प्रतिशत शास्ति के (Total Prevailing Conversion Charges) साथ अधिकतम अवधि 2 वर्ष तक नियमानुसार न्यास स्तर से बढ़ाई जा सकेगी।
17. उपरोक्त योजना का राजस्थान रियल एस्टेट (रेग्यूलेशन एण्ड डवलपमेन्ट) रूल्स 2017 के तहत पंजीयन करवाया जाना अनिवार्य होगा।
18. विभागीय अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के प्रावधान 7.02 अनुसार योजना में टेलिकोम इन्फ्रास्ट्रक्चर टावरस् हेतु स्थल आरक्षित रखते हुए निष्पादन विभागीय अधिसूचना/ आदेशानुसार किया जाना होगा।
19. टाउनशिप पॉलिसी-2010 एवं इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना/आदेश/परिपत्र/दिशा-निर्देशों के समस्त प्रावधानों की पालना करनी होगी तथा नियमानुसार आवश्यक सभी शुल्क न्यास कोष में जमा करवाने होगे।
20. योजना क्षेत्र में विभागीय आदेश क्रमांक प.3(77)नविवि/3/2009 पार्ट-IV जयपुर दिनांक 27.12.2022 द्वारा टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अन्तर्गत City Gas Distribution Station Pressure regulating station/District regulating station स्थापित करने हेतु नवीन प्रावधान लागू होंगें।
21. राजस्थान रीयल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक एफ.4(1)आरजे/रेरा/2017/पार्ट/467 दिनांक 14.03.2023 विकासकर्ता/खातेदार द्वारा सुनिश्चितता की जानी होगी।

सचिव
नगर विकास न्यास,
श्रीगंगानगर

उपरोक्त सभी शर्ते मेरे/हमारे द्वारा पढ़ व समझ ली गई है, जिनकी पूर्ण जानकारी मेरी/हमारी निजी जानकारी अनुसार है एवं सत्य है। उपरोक्त सभी शर्ते मुझे/हमे मंजूर एवं मान्य है तथा उपरोक्त वर्णित सभी शर्तो की पालना मेरे/हमारे स्वयं के स्तर पर की जावेगी।

सहमती हस्ताक्षर
(खातेदार/कॉलोनाईजरस)

क्रमांक :- नियोजन/2024/ दिनांक :-

प्रतिलिपि :-

1. खातेदार/विकासकर्ता रिद्धि सिद्धि होम डवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड जरिये डायरेक्टर श्री मुकेश शाह पुत्र श्री शिव प्रसाद शाह निवासी आरएस-08 रिद्धि सिद्धि एन्कलेव प्रथम, श्रीगंगानगर (राज.)।
2. नियमन शाखा न्यास, श्रीगंगानगर को उक्त रहन रखे गये भूखण्डों का रूपान्तरण नहीं करने एवं रहन रखे गये भूखण्डों तथा उक्त योजना में नियमन किये गये भूखण्डों का अलग से रजिस्टर सम्पूर्ण विवरण सहित संधारित करने बाबत।

सचिव
नगर विकास न्यास,
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

HDFC Bank [illegible] 30/4/24 [illegible]

RECEIPT No. 63 [illegible] 2853338/- [illegible]

U.I.T. Form 4 (See Rule 50)

Book No. 1710

URBAN IMPROVEMENT TRUST

SRI GANGANAGAR-335001 (Raj.)

Dated 01-5-24

Received from Shri रिद्धि सिद्धि होम डवलपर्स प्रा. लि.

a sum of Rs. (In words) अट्ठाईस लाख [illegible] तीन सौ अड़तीस रुपये

on account of 4.3 [illegible] मु. 31 किला न. [illegible]

for the period [illegible] विकास शुल्क = 164260 in full payment of

Demand slip No. 201. [illegible] = (-) 328520 Dated

1314080

[illegible] = +1260508

BSUP = +278750

2853338

Rs. 2853338/-

Cashier

Head of Office

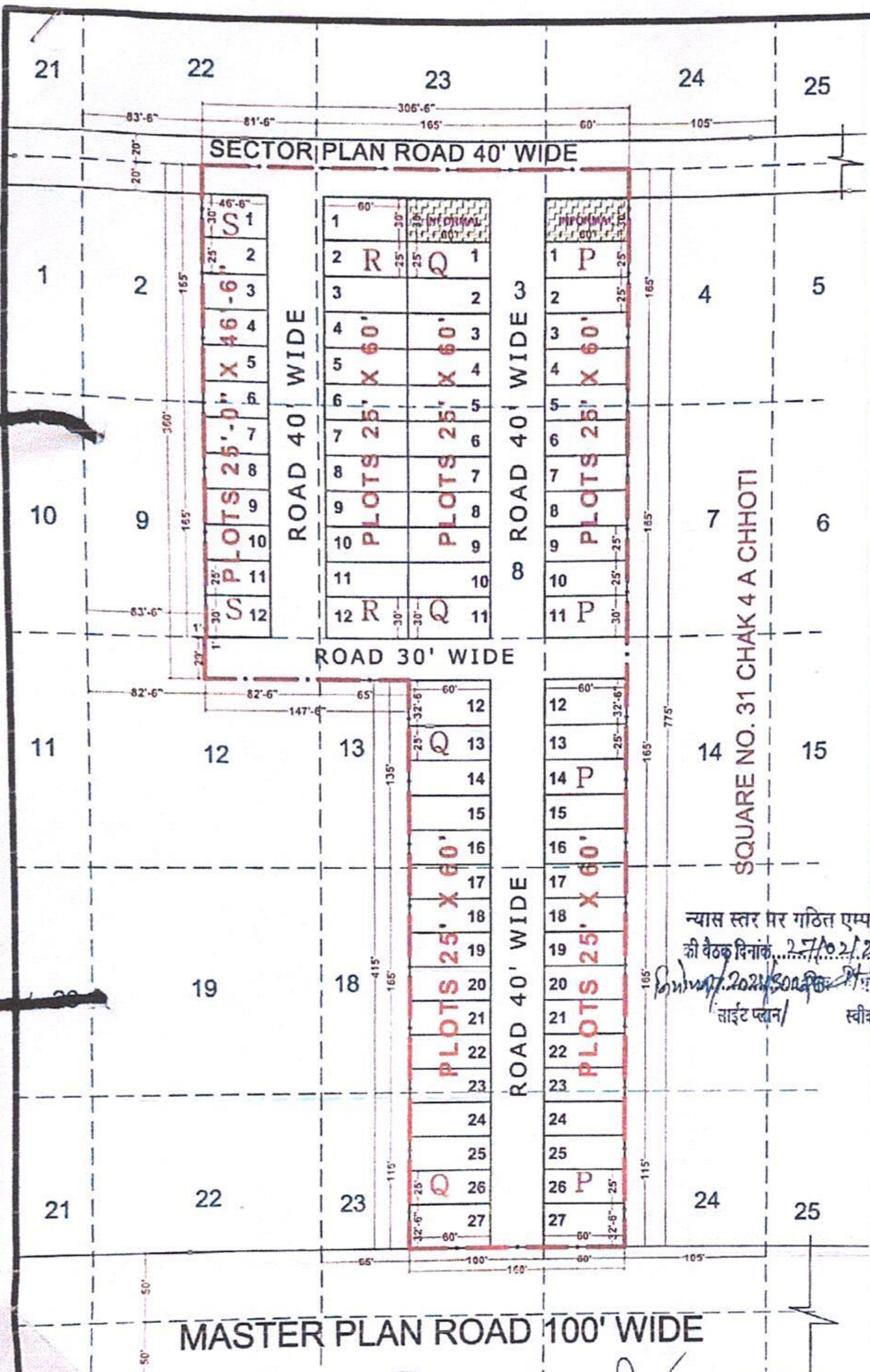

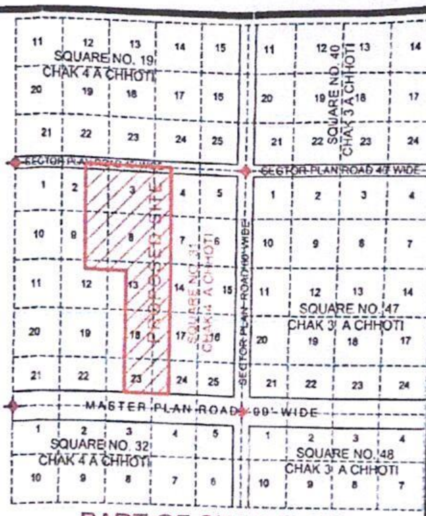

PART OF CHAK PLAN

REFERENCE :-

1. JAMABANDI AREA SHOWN THUS :-
2. KILLA LINE SHOWN THUS :-
3. SQUARE POINT SHOWN THUS :-
4. JAMABANDI AREA :-176769.00 Sq.Ft. OR 1.6426 Hect.
5. SCALE 1" = 82'-6"
6. OWNER :-

LAND USE ANALYSIS :-

TOTAL LAND 176769.00 Sq Ft.

S. NO.	PARTICULAR	AREA IN Sq.ft.	%TAGE
1	RESIDENTIAL	116415.00 Sq.ft.	65.86 %
2	INFORMAL	3600.00 Sq.ft.	2.03 %
3	ROAD	56754.00 Sq.ft.	32.11 %
	TOTAL	176769.00 Sq.ft.	100 %

न्यास स्तर पर गठित एम्पावर्ड समिति की बैठक दिनांक 27/02/2024 को निर्णय 17.2024/500 दि. 28/02/2024 से आऊट साईट प्लान/ स्वीकृत किया गया।

सहायक नगर नियोजक नगर विकास न्यास श्रीगंगानगर (राज.) | अधिशाषी अभियन्ता नगर विकास न्यास श्रीगंगानगर (राज.) | भूमि अवाप्ति अधिकारी नगर विकास न्यास श्रीगंगानगर (राज.) | सचिव नगर विकास न्यास श्रीगंगानगर (राज.)

LAYOUT - PLAN

LAYOUT PLAN OF KILLA NO. 2,4,7,9,12,13,14, 17,18,23,24(EACH PART)3,8 SQUARE NO. 31 CHAK 4 A CHHOTI AT Teh. & Dist. SRI GANGANAGAR

Scanned with OKEN Scanner

RIDHI SIDHI ENCLAVE
An Ultra Modern Residential Township

CIN: U45201RJ2006PTC022529 (2006-2007)
All Subject to Sri Ganganagar Jurisdiction

Ridhi Sidhi Home Developers Private Limited

Head Office: Shop No. 25,JLN Marg, Lal Bahadur Nagar, Jaipur-302015 (Raj.)
Corporate Office: Ridhi Sidhi Enclave,Hanumangarh State Highway,Sri Ganganagar (Raj.)-335001
Contact: 0154-2465368, 2465569, 9001100000

Date :- 21st October 2024

To,
The Secretary,
Urban Improvement Trust (UIT),
Sri Ganganagar (Raj.)

Subject: Request for Rectification in Plot Mortgaged Letter

Dear Sir/Madam,

I hope this letter finds you well. I am writing to request a rectification in the Plot Mortgaged Letter **(Letter no. : Niyojan/2024/263-265 dated :- 14-05-2024)** issued for my project – **Ridhi Sidhi Enclave 9, P & Q Block** located at **Killa No. 2/4, 3, 8, 4/1, 7/2, 9/3, 12/3, 13/2, 14/1, 17/2, 18/1, 23/4, 24/3, Square No. 31, Chak 4 A Chotti Teh. & Dist. Sri Ganganagar, (Raj.) - 335001.**

Upon reviewing the document, I noticed that it specifies a time period of 24 months for project completion. However, according to the township policy for schemes up to 2 hectares (20,000 sq. mtr.), the permissible time frame is 18 months. This discrepancy could potentially affect my compliance with the township regulations.

I kindly request that you amend the Plot Mortgaged Letter to reflect the correct time period of 18 months as stipulated in the policy. This adjustment will help ensure that all procedures are in line with the established guidelines.

Thank you for your attention to this matter. I look forward to your prompt response.

Sincerely,

Mukesh Shah
Director
Ridhi Sidhi Home Developers Pvt Ltd

प्राधिकृत अधिकारी एवं सचिव
नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)